फाइल नं0-71-3002(001)/2/2021-03

54/2024/I/526179/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 21 मार्च, 2024**

विषयः-केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी हेतु राज्यांश की धनराशि एस0एन0ए0 एकाउण्ट में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/842, दिनॉक 29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी के निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रू0 211.2285 करोड़ (रू0 दो अरब ग्यारह करोड़ बाइस लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि राज्यांश के रूप में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	मे0का0 का नाम	परियोजना की अनुमोदित लागत	शासनादेश दिनांक	अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त राज्यांश	राज्यांश के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि		कुल अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
						अनुदान संख्या-83 के सापेक्ष	अनुदान संख्या-81 के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बिजनौर	281.5197	27.03.2020, 13.09.2021, 03.02.2022 28.03.2022	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+	66.67	11.3608	4.44	15.8008

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			29.03.2023 28.06.2023	56.20+ 28.4866= कुल 184.6866				
2	कुशीनगर	281.4501	27.03.2020, 27.08.2021, 03.02.2022 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+ 57.00+ 28.4866= कुल 185.4866	66.67	10.00	5.00	15.00
3	सुल्तानपुर	270.9250	27.03.2020, 28.08.2021, 04.02.2022 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+ 56.99+ 28.4866= कुल 185.4766	66.67	5.00	00	5.00
4	गोण्डा	281.7110	27.03.2020, 21.09.2021, 03.02.2022 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+ 57.00+ 28.4866= कुल 185.4866	66.67	6.1608	7.3613	13.5221
5	ललितपुर	287.5747	27.03.2020, 28.08.2021, 23.02.2022 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 15.00+ 23.00+ 50.00+ 57.00+ 28.4866= कुल 185.4866	66.67	10.00	9.00	19.00
6	लखीमपुर खीरी	288.7095	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 56.72+ 28.4866= कुल 185.2066	66.67	12.00	00	12.00
7	चंदौली	274.1833	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022 29.03.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 57.00+	66.67	7.0508	0.42	7.4708

http://shasanadesh.up.nic.in

			28.06.2023	28.4866= कुल 185.4866				
8	बुलन्दशहर	269.4430	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 57.00+ 28.4866= कुल 185.4866	67.4073	3.0842	00	3.0842
9	पीलीभीत	284.6080	27.03.2020, 27.09.2021 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 57.00+ 28.4866= कुल 185.4866	66.67	8.00	10.00	18.00
10	औरैया	280.1657	27.03.2020, 28.08.2021 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 57.00+ 28.4866= कुल 185.4866	75.4254	2.0508	3.1946	5.2454
11	कानपुर देहात	283.3756	27.03.2020, 28.08.2021 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 56.43+ 28.4866= कुल 184.9166	75.1974	00	7.0952	7.0952
12	कौशाम्बी	303.6280	27.03.2020, 13.09.2021 28.03.2022 29.03.2023 28.06.2023	12.00+ 38.00+ 50.00+ 57.00+ 28.4866= कुल 185.4866	66.67	10.00	13.34	23.34
13	अमेठी	301.1244	09.09.2021 03.02.2022 28.03.2022	20.00+ 30.00+ 50.00= कुल 100.00	00	66.67	00	66.67
					योग-	**151.3774**	**59.8511**	**211.2285**

3- केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों हेतु राज्यांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एजेन्सी के सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या- 40601009117, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ के खाते में रखा जायेगा, जिसे कार्यदायी संस्था को जीरो बैलैन्स एकाउन्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, लखनऊ फेज-3 खाता संख्या- 40681736693 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. उक्त 13 मेडिकल कालेजों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय किया जायेगा।
5. प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,51,37,74,000 (रुपये एक अरब इक्यावन करोड़ सैंतीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037898901 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 59,85,11,000 (रुपये उनसठ करोड़ पचासी लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 081 **लेखा शीर्षक** 4210037968901 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-503/दस-2023-24, दिनांक 20 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।